



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 पौष 1942 (श०)

(सं० पटना 972) पटना, सोमवार, 28 दिसम्बर 2020

IE i010@[k0fo0vf/k0&12@2020&4857@[kk|]
[kk| ,o miHkkDrk l j{k.k foHkkx

IdYi

23 दिसम्बर 2020

fo"K; %& खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के अन्तर्गत राज्य में धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (23, नवम्बर, 2020 से 31 जुलाई, 2021) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 6,000/- करोड़ रुपये (छः हजार करोड़ रुपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत राज्य में धान/चावल अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल को धान अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस मौसम में मुख्य रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स)/व्यापार मंडल द्वारा सीधे किसानों से धान का क्रय किया जाना है एवं अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर तैयार सी0एम0आर0 राज्य के नोडल अभिकरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 केन्द्र पर जमा किया जाना है। पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंचायत स्तर पर पैक्स/प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के क्रय केन्द्र से PFMS के माध्यम से क्रय के पश्चात तत्काल भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था की जानी है, ताकि किसानों को धान बिक्री हेतु कोई असुविधा न हो।

2. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को कार्यशील पूँजी के रूप में एक बड़ी राशि की आवश्यकता है।

3. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4442 दिनांक 23.11.2020 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के अन्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्य योजना एवं दिशा निर्देश (यथा संशोधित) निर्गत किया गया है एवं अधिसूचना सं० 4437 दिनांक 23.11.2020 के अनुसार धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 23.11.2020 से 31.03.2021 तक तथा सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति का कार्यक्रम दिनांक 23.11.2020 से 31.07.2021 तक प्रभावी रहेगा।

4- खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य लगभग 45 लाख मे0टन निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2020-21 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण-1868/- रु0 प्रति क्वी0 निर्धारित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी है। नोडल अभिकरण के द्वारा प्रारंभिक तौर पर वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त किये जाने वाले लगभग 30 लाख मे0टन सी0एम0आर0 की Acquisition Cost 32,000/- रुपये प्रति मे0टन की दर से आकलन किया गया है तथा वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में कुल 9,600 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की आवश्यकता होने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। उपर्युक्त प्रतिवेदित क्रियाशील पूंजी के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा कुल 6,000 करोड़ रुपये का क्रियाशील पूंजी विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त करने तथा शेष राशि की व्यवस्था विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले विपत्रों के आंतरिक भुगतान से प्राप्त राशि से किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि निगम के पास अपनी वित्तीय श्रोत से राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त किये जाने की बाध्यता है, ताकि सुगमतापूर्वक अधिप्राप्ति व्यवस्था का कार्यान्वयन किया जा सके।

5- बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा पत्रांक-9498 दिनांक-14.12.2020 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में 6000 करोड़ रुपये की क्रियाशील पूंजी की व्यवस्था के लिए विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक ब्याज दर पर बैंक गारंटी उपलब्ध कराये जाने से संबंधित प्राप्त अनुरोध निम्नवत है :-

क्र0सं0	बैंक का नाम	ऋण राशि (करोड़ में)	ब्याज दर (वार्षिक MCLR)
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	1000	6.60%
2	पंजाब नेशनल बैंक	1700	6.90%
3	यूको बैंक	300	6.95%
4	केनरा बैंक	1000	6.95%
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	300	7.20%
6	इण्डियन बैंक	800	7.25%
7	बैंक ऑफ इण्डिया	600	7.25%
8	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	300	7.15%
dy ;kx		6000	

★ iR;|d rhu ekg ij 0;kt nj dk vkdyu fd;k tk,xkA

6- खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को दिया जाने वाला कुल 6,000 करोड़ रु0 की बैंक गारंटी की राशि मात्र धान अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ही मान्य होगी एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात उक्त राशि को संबंधित बैंकों को वापस करने की जिम्मेवारी पूर्णतः बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम की होगी। उपरोक्त गारंटी 31.03.2022 तक ही प्रभावी होगी।

7. बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से कुल 3200 करोड़ रु0 का ऋण लिया गया था। साथ ही खरीफ विपणन मौसम, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 क्रमशः 2200 करोड़, 1900 करोड़, 2500 करोड़, 2500 करोड़ एवं 4000 करोड़ रु0 का ऋण विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त किया गया था। खरीफ विपणन मौसम, 2019-20 हेतु प्राप्त उपर्युक्त 4000 करोड़ रुपये ऋण के विरुद्ध बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा कुल 3500 करोड़ रुपये राशि का उपभोग अबतक किया गया है एवं बैंकों से लिये गये उपर्युक्त राशि के परिप्रेक्ष्य में निगम के पास अद्यतन बकाया 2,635 करोड़ रुपये शेष है तथा निगम के द्वारा अद्यतन गारंटी शुल्क जमा किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रेषित विपत्रों के आलोक में भारत सरकार के स्तर पर 1723.50 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया जाना है। भारत सरकार से बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को भुगतान प्राप्त होने के उपरांत अवशेष ऋण मद में बकाये राशि का भुगतान वापस किया जाना प्रस्तावित है।

8. खरीफ विपणन मौसम 2020-21 हेतु विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किये जाने वाले ऋण की राशि को बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पृथक स्क्रो (Eschrow) खाते में संघारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी लेखा का भी ब्योरा अलग से संघारित किया जायेगा।

9. अतः प्रस्ताव है कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के अन्तर्गत राज्य में धान/ सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति कार्यक्रम (23 नवम्बर, 2020 से 31 जुलाई, 2021) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में कंडिका 05 में अंकित कुल 08 विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 6,000/- करोड़ रुपये (छः हजार करोड़ रुपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

10. मंत्रिपरिषद् की दिनांक 22.12.2020 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
संचिका संख्या-प्र0-10-ख0वि0अधि0-12/2020 पृष्ठ 08/टि0 ।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के
असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

vkn:'k l]
pUæ'k[kj]
ljdkj di vij lfpo A

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 972-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>